

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश

**विषय- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-34 (5) में पारित किये जाने वाले आदेशों के सम्बन्ध में**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-34 के प्राविधानों के अनुसार धारा-34(1) में जारी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा विक्रेता व्यापारी को भुगतान करते समय विक्रेता द्वारा देय कर की धनराशि काट कर भुगतान करना होता है और काटी गयी कर की धनराशि उप धारा (6) के प्राविधानों के अनुसार शासकीय कोषागार में निर्धारित अवधि में जमा करनी होती है। उप धारा (2) के अनुसार यदि विक्रेता व्यापारी भुगतान कर्ता के समक्ष यह दावा करता है कि उससे कर की कटौती न की जाय या निर्धारित ढग से गणना करने पर आने वाली धनराशि से कम कर की धनराशि की कटौती की जाय, या भुगतान कर्ता व्यापारी की टर्नओवर की सही गणना करने में असमर्थ रहता है तब भुगतान कर्ता व्यक्ति विक्रेता व्यापारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे इस सम्बन्ध में अपने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश प्रस्तुत करें। उप धारा(4) के अनुसार विक्रेता व्यापारी अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह निर्देश जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि उससे कर की कटौती की प्रस्तावित धनराशि की अपेक्षा कम धनराशि की कटौती की जाय या कटौती न की जाय। उप धारा (5) के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी से अपेक्षा की गयी है कि वे भुगतान किये जाने वाले कर दायित्व का परीक्षण करके इस सम्बन्ध में लिखित निर्देश/आदेश जारी करें।

2- कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा धारा 34(5) के अन्तर्गत पारित कतिपय आदेशों के अवलोकन से विदित हुआ है कि कर निर्धारण अधिकारी सम्बन्धित विक्रेता व्यापारी के अनुमानित कर दायित्व की गणना किये बिना ही यह आदेश पारित कर देते हैं कि कर की कटौती किस दर से की जाय। ऐसा किया जाना विधिक प्राविधानों के अनुकूल नहीं है। धारा 34 की उप धारा (5) के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व होता है कि वह व्यापारी के दावे का परीक्षण करें और यह देखें कि सम्बन्धित सम्ब्यवहार पर आवेदन कर्ता व्यापारी का कितना कर दायित्व बनना सम्भवित है और तदोपरान्त वह यह निर्देश जारी करें कि भुगतान कर्ता द्वारा विक्रेता को भुगतान करते समय कर की कितनी धनराशि की कटौती की जानी है।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत करा दें और कर निर्धारण अधिकारियों से उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(अनिल संत)  
कमिशनर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

**पृष्ठांसंख्या एवं दिनांक उक्त।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- (5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , ३०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि० नु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि० नु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त डिप्टी कमिश्नर / अस्सिटेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि० नु०शा० / स०द० ) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।
- (9) अपर निदेशक सेवक निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
- (10) महालेखाकार, १७१ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
- (11) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सर्तकता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
- (12) प्रबन्धक,इसेटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (13) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (14) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विग,स्टेट अफिस आफ द ए०जी० अडिट ११, सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
- (15) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर १०नोयडा ।
- (16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/अस्सिटेंट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी ०कमि०/असि०कमि०(३०न्या०कार्य)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (18) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५- ५ तथा १०प्रतियों में ।
- (19) विधि अनुभाग मुख्यालय को ५० प्रतियों ।
- (20) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (21) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो०१८५/२९३ मीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
- (22) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी १५ माल एवेन्यू,लखनऊ ।
- (23) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,८७/३४९ आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (24) श्री बनवारी लाल कंठल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंठल कुंज, ६६,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
- (25) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , २९बी विधायक निवास दारुलस्थाफा लखनऊ।
- (26) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स,१४/२६ सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (27) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० २/३०२ विकास खण्ड ४/१८० गोमती नगर लखनऊ ।
- (28) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० १ ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (29) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (30) आल इन्डिया मैन्युफैकर्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-४ साइट संख्या ३ मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (31) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर,लखनऊ ।
- (32) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के  
माध्यम से ।
- (33) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय १०इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (34) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
- (35) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहना रोड कानपुर ।
- (36) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (37) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़,१५ टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (38) डा० छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९ इन्ड्रा नगर, लखनऊ ।
- (39) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि य०पी०टैक्स बार एसो० ४५ चन्द्रिका कालोनी,सिंगरा वाराणसी ।
- (40) श्री अशोक ध्वन सी के -२४/ १कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (41) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, ७०७,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु०नगर।
- (42) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए सेक्टर २७ नोयडा ।
- (43) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स,फेडरेशन (रजि०),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (44) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद ।
- (45) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी ६०चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (46) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,१९ सुरेशबाग, कानपुर ।

- (47) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।
- (48) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेर फोरम एसो०, वेस्टर्न यू०पी०५२, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (49) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (50) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० ५१-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (51) श्री अनिल कुमार बंसल दि० यू०पी०३० रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० ३-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (52) श्री दिनेश अरोरा ३०प्र० वनस्पति प्रोड्युसर्स एसो० ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (53) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (54) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-३, पार्क रोड, लखनऊ।
- (55) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-२९), विधायक निवास, दारूल शाफा, लखनऊ।
- (56) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- (57) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, २७ ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (58) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए, ३० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (59) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (60) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
- (61) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीबला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
- (62) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (63) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (64) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (65) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ।
- (66) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा-१५/५ राजनगर, गाजियाबाद।
- (67) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०डी०सी०५१, राजनगर, गाजियाबाद।
- (68) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, १ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(बी०एन० द्विवेदी)

ज्वाइंट कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।